अध्याय -एक

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ तथा सांवधिक निगम समाविष्ट हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये की गई है। मध्यप्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने सितम्बर 2011 तक के अपने अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार ₹ 31,637.50 करोड़ का व्यवसाय किया। यह व्यवसाय राज्य के 2010-11 के सकल घरेलू उत्पाद के 11.65 प्रतिशत के बराबर था । मध्यप्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने 2010-11 में अपने अन्तिम रूप दिये गए अद्यतन लेखाओं के अनुसार कुल मिला कर ₹ 1,999.15 करोड़ की हानि उठाई । 31 मार्च 2011 को उपक्रमों में 0.47[1] लाख कर्मचारी कार्यरत थे।

1.2 नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार 31 मार्च 2011 को 61 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे । इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं थी ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[2]	योग
सरकारी कम्पनियां[3]	47	10	57
सांविधिक निगम	4[4]	निरंक	4
योग	**51**	**10**	**61**

1.3 वर्ष 2010-11 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के चार उपक्रमों यथा मध्यप्रदेश विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उज्जैन) लिमिटेड, मध्यप्रदेश जे.पी. मिनरल्स लिमिटेड, मध्यप्रदेश जे.पी. कोल फील्ड्स लिमिटेड तथा दादा धुनी वाले खण्डवा पावर लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

---

1 *45 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त विवरण के अनुसार तथा शेष 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरण नहीं दिया।*

2 *सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये हैं।*

3 *619-ख कम्पनियां सम्मिलित हैं ।*

4 *मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल को सम्मिलित कर, जिसे जुलाई 2002 में विघटित कर पाँच विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों का निर्माण किया गया था। तत्पश्चात् बोर्ड की गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों के लिये देनदारी व्यवस्थापन एवं रोकड़ प्रवाह गतिविधियों के प्रबंधन तक सीमित कर दिया गया है।*

लेखापरीक्षा जनादेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा शासित/नियंत्रित की जाती है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार/सरकारों की पूंजी, प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो । एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है । यह भी कि एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकारो, सरकारी कम्पनियों तथा सरकार के नियन्त्रण वाले उपक्रमों के किसी समूह द्वारा संयोजित की गई हो तो उसे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (डीम्ड सरकारी कम्पनी) मानी जायेगी ।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा उन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है । इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा अपने-अपने संबन्धित विधायतों द्वारा नियन्त्रित होती है । चार सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम हेतु नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है । मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन और मध्यप्रदेश वित्त निगम की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के 61 उपक्रमों (619-ख कम्पनियों सहित) में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार ₹ 24,400.17 करोड़ था।

(राशि: ₹ करोड़ में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			महायोग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	10159.33	12178.18	22337.51	580.62	1245.32	1825.94	24,163.45
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	61.10	175.62	236.72	0	0	0	236.72
योग	**10220.43**	**12353.80**	**22574.23**	**580.62**	**1245.32**	**1825.94**	**24400.17**

(स्रोत :- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का सारांश ***परिशिष्ट-1*** में दर्शाया गया है ।

1.8 31 मार्च 2011 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में और शेष 1.00 प्रतिशत अकार्यशील कम्पनियों में था। इस कुल निवेश में पूंजी के 44.27 प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋणों के 55.73 प्रतिशत समाविष्ट है । निवेशों में 28.26 प्रतिशत तक कि वृद्वि हुई जो कि 2005-06 में ₹ 19,023.31 करोड़ से 2010-11 में ₹ 24,400.17 करोड़ तक थी, जिसे नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शाया गया है ।

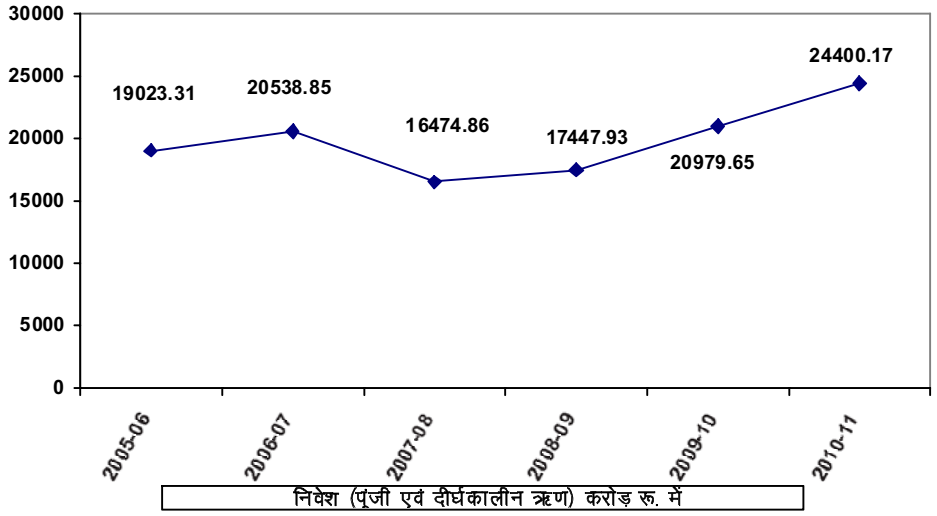

1.9 31 मार्च 2006 तथा 31 मार्च 2011 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत निम्नांकित डंड चित्र में प्रदर्शित किया गया है :

कोष्ठक में दर्शाये गये आंकडे कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते है ।
(₹ करोड़ में)

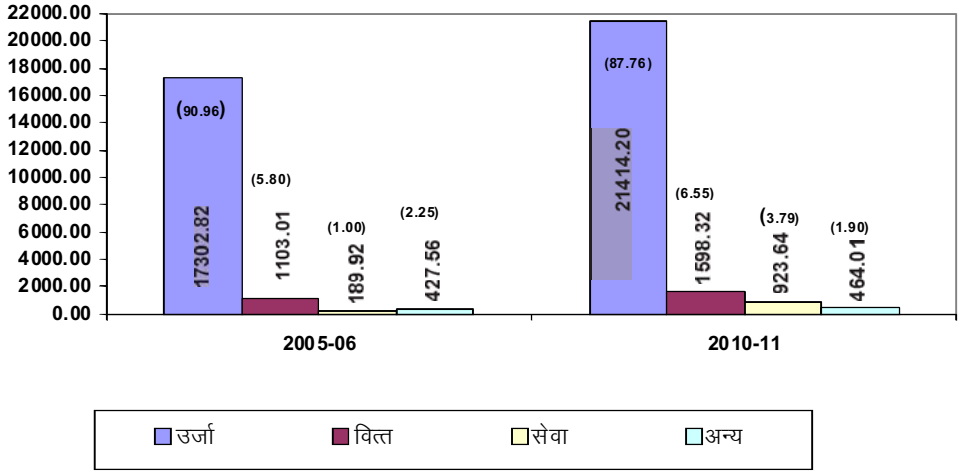

पॉच वर्षो के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत/ऊर्जा के क्षेत्र में रहा जो कि 2005-06 में ₹ 17,302.82 करोड़ से 2010-11 में ₹ 21,414.20 करोड़ हो गया। । वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2010-11 में सरकार का निवेश सभी चार प्रक्षेत्रों यथा ऊर्जा, वित्त सेवा एवं अन्य में बढ़ गया ।

बजट से प्राप्त राशि, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां तथा ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार से समता पूंजी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ***परिशिष्ट-3*** में दिये गये हैं । 2010-11 को समाप्त तीन वर्षो के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से प्राप्त समता पूंजी का	10	679.73	10	1047.85	10	1060.63
2.	बजट से दिये गये ऋण	4	215.63	6	1649.19	6	989.25
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	17	2045.19	14	1879.29	14	2467.91
4.	कुल प्राप्त राशि (1+2+3)		2940.55		4576.33		4517.79
5.	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	1	2.00	3	336.54	--	---
6.	जारी गारंटियां	5	310.85	8	2438.30	6	748.63
7.	बचनबद्धता वाली गारंटी	11	2751.27	11	1031.10	7	3247.37

(स्रोतः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.11 विगत छः वर्षो के लिये समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण निम्नांकित ग्राफ में दिये गये हैं ।

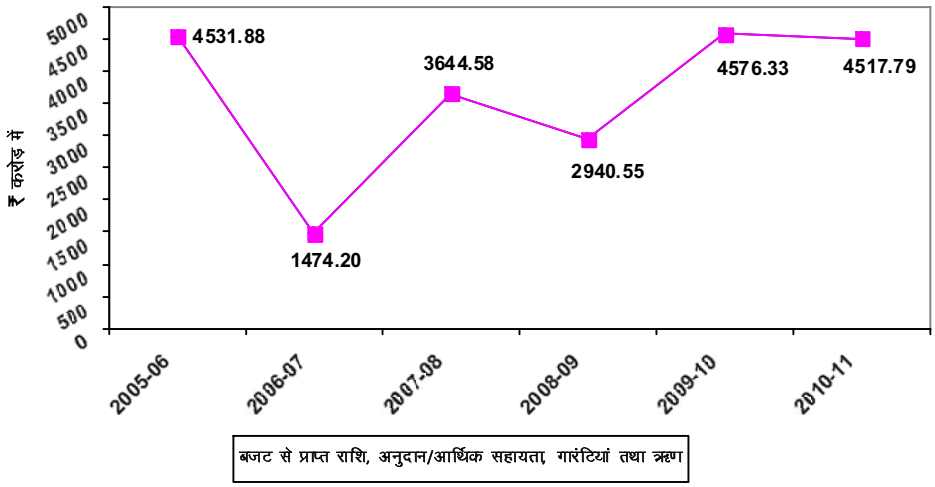

समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के लिये बजट से प्राप्त राशि विगत छः वर्षों 2005-06 से 2010-11 के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाते हैं। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों को बजट से प्राप्त राशि में 2005-06 में ₹ 4,531.88 करोड़ की तुलना में 2010-11 में ₹ 4,517.79 करोड़ प्राप्त हुये। वर्ष 2010-11 में बजट से प्राप्त राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रमों को समता पूंजी/ऋण के राशि ₹ 2,049.88 करोड़ एवं 14 उपक्रमों को अनुदान/आर्थिक सहायता के राशि ₹ 2,467.91 करोड़ शामिल है ।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्वीकृत अधिकतम गारंटी पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन भुगतान करने के लिये बाध्य है चाहे उपक्रमों ने उस राशि का लाभ उठाया हो या राशि बकाया हो । सरकार ने 2010-11 के अन्त तक सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ₹ 3,247.37 करोड़ की गारंटी दी थी । 31 मार्च 2011 को सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹ 872.65 करोड़ भुगतान करने थे जिसके विरूद्ध पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गारंटी कमीशन के ₹ 32.55 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था।

वित्त लेखे के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार बकाया समता पूंजी, ऋण तथा गारंटियों के आकड़ों का मिलान राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के साथ होना चाहिये । यदि आंकड़े मेल नहीं खाते है तो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को मिलान करना चाहिये । 31 मार्च 2011 को इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार दी गई है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
समता पूंजी	6323.86	10389.41	**4065.55**
ऋण	1617.34	5554.43	**3937.10**
गारंटियां	3604.00	3247.37	**356.63**

(स्रोत : वित्तीय लेखे 2010-11 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई जानकारियाँ)

1.14 हमने पाया कि अन्तर 37 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे । सरकारी कम्पनियों/निगमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये समता पूंजी तथा ऋणों के आंकड़ों में विसंगति के मिलान के लिये नवम्बर 2011 को सरकार एवं समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र लिखे गए थे। सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाना चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सरकारी कंपनियों एवं सांवधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम, कार्यशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणामों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट- 2,5 एवं 6*** में दिया गया है । सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के

व्यवसाय तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात से राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलापों का विस्तार प्रकट होता है । निम्नांकित तालिका में 2005-06 से 2010-11 तक की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के व्यवसाय तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ब्यौरे दिये गये है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
व्यवसाय[5]	7375.32	14257.18	12800.73	20735.68	26067.37	31637.50
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	116932.38	130571.44	142499.93	162525.22	194427.26	271680.69
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में व्यवसाय का प्रतिशत	6.31	10.92	8.98	12.76	13.41	11.65

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत वर्ष 2009-10 में 13.41 से गिरकर वर्ष 2010-11 में 11.65 हो गया है ।

1.16 2005-06 और 2010-11 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के विवरण निम्नांकित डण्ड चित्र में दिये गये है। :

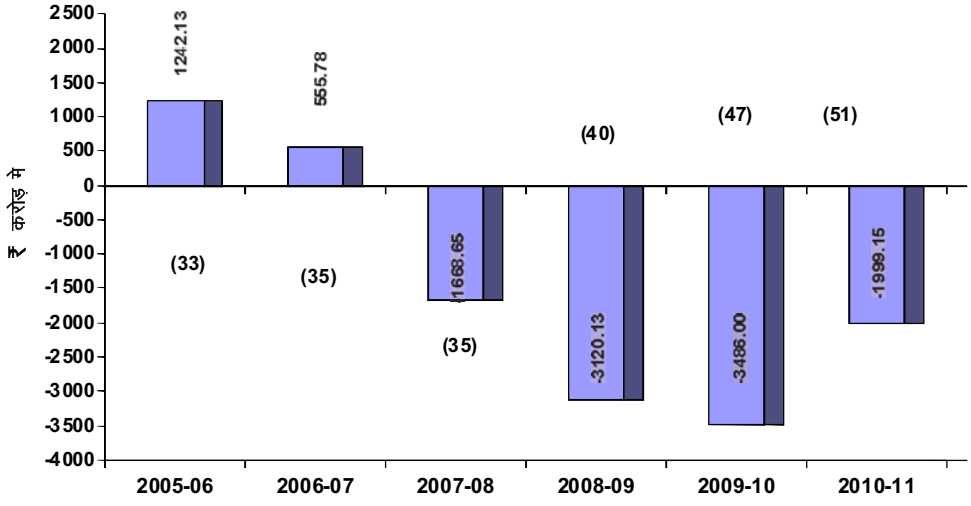

वर्ष के दौरान कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा अर्जित सम्पूर्ण लाभ/उठाई गई हानि (-)
(कोष्ठक में दिखाये गये आंकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है ।)

[5] *30 सितम्बर 2011 तक अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार व्यवसाय।*

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने 2005-06 से 2006-07 के दौरान समस्त रूप से लाभ अर्जित किया, तत्पश्चात 2010-11 तक निरन्तर हानि उठाई। 2005-06 के दौरान कुल अर्जित लाभ ₹ 1,242.13 करोड़ की तुलना में राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों ने वर्ष 2010-11 में ₹ 1,999.15 करोड़ की हानि उठाई। 2010-11 के दौरान 30 सितंबर 2011 को अधतन लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 51 कार्यशील उपक्रमों में से 25 उपक्रमों ने ₹ 176.21 करोड़ का लाभ कमाया जबकि दो[6] उपक्रम ना लाभ - ना हानि की स्थिति में थे और 14 उपक्रमों ने ₹ 2175.36 करोड़ की हानि उठाई। पांच[7] कंपनियों से उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये, चार[8] कंपनियों ने अपना वाणिज्यिक व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया था, जबकि एक[9] कंपनी ने अपने खर्चों को तुलन पत्रक में पूंजीकृत किया। लाभ में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 32.97 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 28.17 करोड़), मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (₹ 26.96 करोड़), मध्यप्रदेश लघु उधोग निगम लिमिटेड (₹ 20.17 करोड़) का था। हानि में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 973.79 करोड़), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 586.46 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 392.75 करोड़) एवम् मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (₹ 197.37 करोड़) का था।

1.17 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हानियों के लिये प्रमुख रूप से वित्तीय प्रबंधन, नियोजन, परियोजना का कार्यान्वयन, संचालन तथा परिवीक्षण में कमियाँ जिम्मेदार थी । नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 1,173.31 करोड़ की हानियां उठाई जिसको अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्धन से नियन्त्रित किया जा सकता था । लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियन्त्रण योग्य हानियों तथा निष्फल निवेश के वर्षवार विवरणों का उल्लेख नीचे किया गया है :

(राशि: ₹ करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	*कुल*
निवल लाभ/(हानि)	(3120.13)	(3486.00)	(1999.15)	(8605.30)
नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रण योग्य हानियां	20.75	351.71	800.85	1173.31
निष्फल निवेश	4.17	38.66	---	42.83

1.18 नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित उपरोक्त नियंत्रणीय-हानियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की नमूना जाँच पर

6 *परिशिष्ट-2 के क्रमांक क-21,22 पर की कंपनियां*
7 *परिशिष्ट-2 के क्रमांक क-17 व ए-24 पर की कंपनियाँ*
8 *परिशिष्ट-2 के क्रमांक क-32 पर की कंपनी*
9 *परिशिष्ट-2 के क्रमांक क-35 पर की कंपनी*

आधारित है । वास्तविक नियन्त्रण योग्य हानियां और भी अधिक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से केवल तभी निर्वाह कर सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों । उपरोक्त स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यावसायिकता तथा कार्य करने में उत्तरदायित्व की भावना की आवश्यकता की ओर इंगित करती है ।

1.19 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रमुख मानक निम्नानुसार है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	12.81	5.51	Nil[11]	Nil[10]	Nil[10]	Nil[10]
ऋण	14337.67	14989.72	9170.36	9309.00	10160.08	13599.12
व्यवसाय[11]	7375.32	14257.18	12800.73	20735.68	26067.37	31637.50
ऋण/व्यवसाय अनुपात	1.94:1	1.05:1	0.72:1	0.45:1	0.39:1	0.43:1
ब्याज भुगतान	391.20	734.80	1228.69	545.89	1117.00	2082.37
संचित लाभ/ (हानि)	(2618.22)	(3400.63)	(6274.55)	(6755.18)	(11492.22)	(13923.97)

(उपरोक्त आँकडो में व्यवसाय जो सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों के है, को छोड कर अन्य आकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रमों से सम्बन्धित है)

1.20 उपरोक्त मानकों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में एक मिश्रित चलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं । नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ह्रासमान प्रवृत्ति में दर्शाता है। 2005-06 में 12.81 प्रतिशत जो 2006-07 में घटकर 5.51 प्रतिशत हो गया, तत्पश्चात इसमें निरन्तर कमी आई और यह नकारात्मक हो गया । ऋण व्यवसाय अनुपात वर्ष 2005-06 में 1.94:1 से सुधरकर 2010-11 में 0.43:1 हो गया जो कि मुख्यतः व्यवसाय में वृद्धि (वर्ष 2005-06 में ₹ 7,375.32 से बढ़कर वर्ष 2010-11 से ₹ 31,637.50) के कारण हुआ ।

1.21 राज्य सरकार ने समता पूंजी पर न्यूनतम 12 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिये एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 1998) । बाद में इसे संशोधित कर करोपरान्त लाभ पर 20 प्रतिशत कर दिया गया (जुलाई 2005)। इस संशोधित नीति को सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उपक्रमों से सम्बन्धित सचिवों तथा अध्यक्ष सह प्रबंध संचालको को सूचित कर दिया गया । अपने 30 सितम्बर 2011 को अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 25 उपक्रमों ने कुल ₹ 176.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के छः उपक्रमों ने ₹ 6.13 करोड़ का लाभांश घोषित किया। जबकि शेष 19 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

---

10 शून्य नकारात्मक प्रतिफल को दर्शाता है ।

11 30 सितम्बर तक अद्यतन अंतिम रूप दिये गये लेखाओ के अनुसार व्यवसाय ।

अन्तिम रूप न दिये गये बकाया लेखे

1.22 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166,210,230,619 तथा 619 - ख के अधीन कम्पनी के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अन्तिम रूप देना अपेक्षित है । इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखाओं को उनसे सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम रूप दिया जाना होता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधान सभा के पटल पर रखा जाता है। निम्नांकित तालिका में सितम्बर 2011 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अन्तिम रूप देने में की गई प्रगति के विवरण दिये गये है :

क्रम संख्या	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	35	35	40	47	51
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं की संख्या	31	37	25	49	59
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	52	54	69	66[12]	58
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के औसत बकाया (3/1)	1.49	1.54	1.73	1.43	1.14
5.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	30	25	29	33	26
6.	बकायों की सीमा	1 से 7 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 7 वर्ष

1.23 उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या में वृद्धि के साथ ही अन्तिम तीन वर्षो 2008-09 तक के दौरान बकाया लेखाओं में भी क्रमिक वृद्धि हुई । वर्ष 2010-11 के दौरान सुधार हुआ और 59 लेखों को अंतिम रूप दिया गया । बकाया लेखों की संख्या 2009-10 के 66 की तुलना में 2010-11 में घटकर 58 हो गया । बकाया लेखों के संग्रहण का मुख्य कारण प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, प्रशासनिक विभागों एवं उपक्रमों द्वारा ठोस प्रयास का अभाव थे ।

1.24 उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में भी लेखे बकाया थे। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 अकार्यशील उपक्रमों में से सात[13] परिसमापन प्रक्रिया में थे एवं शेष तीन उपक्रमों में लेखें तीन से 15 वर्ष तक के लिए बकाया थे ।

1.25 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे 12 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में, जिनके लेखे तैयार नही थे, ₹ 1,922.38 करोड़ (समता अंशः ₹ 297.70 करोड़, ऋणः ₹ 192.26 करोड़, आर्थिक सहायताः ₹ 1,349.91 करोड़ तथा अनुदानः ₹ 82.57 करोड का निवेश किया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट-4*** में दिया गया है । वार्षिक लेखे न बनने एवम् उनकी लेखापरीक्षा ना होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं

12 *वर्ष 2009-10 में बकाया लेखों की संख्या को 67 से पुनरीक्षित कर 66 किया गया है ।*

13 *परिशिष्ट–2 में क्रमांक संख्या ग 1,2,3,4,6,8 और 10 ।*

किया जा सका कि निवेश एवं व्ययों का लेखाओं में ठीक ढंग से लेखांकन किया गया है या नहीं एवं व्यय/निवेश जिस उद्देश्य से किये गये थे उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं । इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा से बाहर रह गया । इसके अतिरिक्त लेखे तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ-साथ जनता के पैसों में धोखाधड़ी की जोखिम तथा दुरूपयोग भी हो सकता है ।

1.26 प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए । हालांकि सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों की जानकारी के सम्बन्ध में तिमाही आधार पर सूचित किया जाता है तथा यह मामला मुख्य सचिव, वित्त सचिव के ध्यान में भी लाया गया अपितु उपचार हेतु कोई उपाय नहीं किया गया । परिणास्वरूप, इन सरकारी उपक्रमों की शुद्ध मूल्य का लेखापरीक्षा में आंकलन नहीं किया जा सका ।

1.27 बकायों की उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को बकाया लेखाओं के समापन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए लेखाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.28 31 मार्च 2010 को सार्वजनिक क्षेत्र के 10 अकार्यशील उपक्रम (एक 619-ख कम्पनी एवं 9 कम्पनियां) थे । इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों ने समापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है । सार्वजनिक क्षेत्र के तीन अकार्यशील उपक्रमों को बन्द करना अपेक्षित है, क्योंकि इनका अस्तित्व उस प्रयोजन में सहायक नहीं हो पा रहा जिसके लिए इनका निर्गमन किया गया था ।

1.29 वर्ष 2010-11 के दौरान किसी भी कम्पनी/निगम की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई । अकार्यशील कम्पनियों की समापन की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्रं.सं.	विवरण	कम्पनियां
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	10
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे	
(क)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7[14]
(ख)	समापन यथा बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं हुई है ।	3[15]

[14] *परिशिष्ट-2 में क्रमांक संख्या ग 1,2,3,4,6,8 और 10*

[15] *परिशिष्ट-2 में क्रमांक संख्या ग 5,7 और 9*

1.30 स्वौच्छिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया के लिये कम्पनी अधिनियम अधिक शीघ्रगामी है और उसको सशक्त रूप से अंगीकार/अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार इनकी अकार्यशील स्थिति को दृष्टिगत करते हुये इनको अस्तित्व में बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकती है ।

लेखाओं पर टिप्पणियां तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.31 40 कार्यशील कम्पनियों ने वर्ष के दौरान अपने लेखापरीक्षित 55 लेखे, प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किये । इनमें से 33 कम्पनियों के 30 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के प्रभाव एवं कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण निम्नानुसार है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	प्रभाव	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	9	280.66	12	362.48	11	208.26
2.	हानि में वृद्धि	6	91.17	2	6.26	3	64.36
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	11	1353.38	13	222.89	4	59.25
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	8	293.92	5	17.77	4	94.14

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि " तथ्यों को प्रकट ना करना " पर टिप्पणियों में काफी गिरावट हुई है ।

1.32 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कार्यशील कम्पनियों के समस्त लेखाओं को अर्हता प्रमाण पत्र दिये थे । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान नौ लेखाओं पर टिप्पणियां दी । इन्स्ट्रीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानको का अनुपालन खराब रहा । वर्ष के दौरान 15 लेखाओं में लेखाकरण मानकों के पालन न करने के 68 उदाहरण थे।

1.33 कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है :

मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2010-11)

➢ आकस्मिक देयतायें

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के अनुसार, क्रय कर की गणना हेतु गेंहूँ के मूल्य में प्रथम भण्डारण बिन्दु तक के व्यय सम्मिलित किया जाता है । यद्यपि कम्पनी ने ₹ 1,282.72

प्रति क्विंटल के स्थान पर ₹ 1,100 प्रति क्विंटल पर कर का भुगतान किया । इस अन्तर के कारण शेष ₹ 15.46 करोड़ पर क्रय कर के भुगतान का दायित्व का मामला उच्च न्यायालय में लम्बित है । यद्यपि इसके लिए आकस्मिक देयतायें लेखाओं में नहीं दर्शाई गई है ।

➢ तुलन पत्रक

राज्य सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 फरवरी 2009 के अनुसार, अवधि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के लिए छटवें वेतन आयोग का बकाया, कर्मचारियों को पाँच किश्तों में दिया जाना था । इस सम्बन्ध में दो किश्तें 31 मार्च 2011 तक वितरित की जा चुकी थी । बकाया तीन किश्तों की राशि ₹ 5.70 करोड़ का दायित्व " लेखों पर टिप्पणियों " में दर्शाया जाना चाहिए था ।

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2009-10)

➢ चालू दायित्व एवम् प्रावधान (अनुसूची-ज) ₹ 162.17 करोड़

कम्पनी द्वारा ग्रुप ग्रेच्युटी की शुद्ध बन्दोबस्ती प्रणाली से रोकड़ संचय आधारित प्रणाली पर जाने के कारण, 1 जुलाई 2009 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 8.58 करोड़ के दायित्व का प्रावधान इसमें सम्मिलित नहीं है । दिनांक 28 जून 2010 को निदेशक मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार नई स्कीम जून 2009 से चलन में आ गई थी । कम्पनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से मांग प्राप्त होने के बावजूद भी इस दायित्व का प्रावधान नहीं किया । इससे चालू दायित्व एवं प्रावधान और चालू वर्ष के लिए लाभ ₹ 8.58 करोड़ से क्रमशः कम और ज्यादा दर्शाये गए हैं ।

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड (2009-10)

➢ व्यय (अनुसूची-8) ग्रेच्युटी व्यय ₹ 32.64 लाख

लेखांकन मानक-15 के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ (ग्रेच्युटी) के दायित्व का प्रावधान एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है । कम्पनी ने ग्रेच्युटी हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम से एक पालिसी ली थी । मार्च 2010 में भारतीय जीवन बीमा निगम के एक्चूरियल मूल्यांकन के हिसाब से कम्पनी द्वारा इस सम्बन्ध में भुगतान किए जाने योग्य राशि ₹ 170.98 लाख थी जिसमें से कम्पनी द्वारा सिर्फ ₹ 32.64 लाख का भुगतान किया गया था । परिणामस्वरूप, लाभ को ₹ 138.34 लाख (₹ 170.98 (-) ₹ 32.64 लाख) से अधिक दर्शाया गया है एवम् चालू दायित्वों को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है ।

एस.ई.जेड. (इन्दौर) लिमिटेड (2007-08)

वित्तीय वर्ष में अर्जित आय (अनुसूची-9)

- **पट्टा किरायाः- ₹ 1.99 करोड़**

इसमें वर्ष 2008-09 के लिए प्राप्त पट्टा किराया राशि ₹ 72.50 लाख एवं विकास निधि राशि ₹ 91.90 लाख (कुल ₹ 1.64 करोड़) शामिल है, जिसे चालू वर्ष में प्राप्त कर चालू वर्ष की आय मानते हुए लेखों में दिखाया गया है ।

आगामी वर्ष के सम्बन्ध में चालू वर्ष में प्राप्त आय को चालू वर्ष की आय में सम्मिलित करने से लाभ ₹ 1.64 करोड़ से ज्यादा दर्शाया गया है एवं चालू सम्पत्तियों को उतनी ही राशि से कम दर्शाया गया है ।

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (2003-04)

- **तुलन पत्रक- अंशपूंजी- जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी- ₹ 15.59 करोड़**

इसमें राज्य सरकार से वर्ष 2003-04 में प्राप्त अंशपूंजी हेतु राशि ₹ 1.59 करोड़ भी शामिल है । यह अंश 6 अगस्त 2004 को आवंटित किये गये थे अतः इस राशि को जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी में दर्शाने के बजाये अंश आवेदन राशि में दर्शाया जाना चाहिए था ।

दादाधुनी वाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड (2010-11)

- **पूंजीगत प्रगतिशील कार्य- ₹ 22.92 लाख (अनुसूची-3)**

उपरोक्त में खण्डवा में 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमानित क्षतिपूर्ति एवं सेवा प्रभार राशि ₹ 35.54 करोड़ शामिल नहीं है । यह राशि 23 फरवरी 2011 को उप संभागीय मजिस्ट्रेट एवं भू-अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मांगी गई थी तथा जिसका भुगतान 9 जून 2011 को कर दिया गया था । परिणास्वरूप भू-अधिग्रहण के अन्तर्गत पूंजीगत प्रगतिशील कार्य एवं पूंजीगत दायित्वों के लिए प्रावधान ₹ 35.54 करोड़ से कम दर्शाये गये हैं ।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2009-10)

- **ह्रास- ₹ 97.80 करोड़ (अनुसूची-6)**

कम्पनी ने निर्देशक मण्डल की 39$^{बी}$ (26.03.2010) बैठक में कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्देशित ह्रास दरों को अपनाने के निर्णय के बावजूद कम्पनी ने वर्ष 2009-10 में स्थायी सम्पत्तियों पर केन्द्र सरकार के सर्कुलर दिनांक 29.03.1994 में निदिष्ट दरों के आधार पर स्थायी ह्रास पद्धति से ह्रास प्रभारित किया । परिणामस्वरूप ह्रास एवं हानि ₹ 16.25 करोड़ से कम दर्शायी गई है जबकि सम्पत्तियां उतनी ही राशि से अधिक दर्शायी गई ।

➢ विद्युत ऊर्जा का क्रय- ₹ 2,763.19 करोड़ (अनुसूची-17)

इसमें वार्षिक राजस्व निर्धारण एवम् मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 2009-10 के लिए खुदरा दर निर्धारण के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी को वर्ष 2006-07 के लिए देय टू अप प्रभार की राशि ₹ 41.90 करोड़ शामिल नहीं है ।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (2009-10)

➢ प्रति अंश आय (आधारभूत) ₹ 4.36

प्रति अंश आय पर लेखांकन मानक-20 के अनुच्छेद 10, 11 एवं 12 के अनुसार, आधारभूत प्रति अंश आय की गणना अंश पूंजी धारकों के लिए सम्बन्धित अवधि को शुद्ध लाभ/हानि को सम्बन्धित अवधि के लिए प्रदत्त पूंजी अंश की भारित औसत संख्याओं से भाग देकर की जाती है । 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाते के अनुसार अंश धारकों को देय लाभ राशि ₹ 12,06,29,707 थी एवं भारित औसत अंशों की संख्या 1,54,53,424 थी । अतः गणना करने पर प्रति अंश आय ₹ 7.81 आती है जो कि लेखों में ₹ 3.45 प्रति अंश कम दर्शायी गई है ।

1.34 इसी प्रकार तीन कार्यशील सांविधिक निगमों ने 2010-11 अवधि के लिये प्रधान महालेखाकार को अपने चार लेखे अग्रेषित किये थे । इनमें से एक सांविधिक निगम (मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल) के एक लेखा की जिसके एकमात्र लेखापरीक्षक भारत के नियन्त्रण एवं महालेखापरीक्षक है, द्वारा ही की जानी थी जो कि प्रक्रियाधीन है । शेष तीन लेखाओं, एक मध्यप्रदेश वित्त निगम एवं दो मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के थे, का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिये किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की एकमात्र/अनूपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में सुधार करने की महती आवश्यकता है । भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य विगत तीन वर्षो 2008-09 से 2010-11 तक के विवरण निम्नानुसार है :

(राशिः ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2008-09		2009-10		2010-11	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	113.83	1	2.24	----	----
2.	हानि में वृद्धि	1	1009.86	1	3.01	---	---
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	--	--	1	65.00	----	----
4.	वर्गीकरण में त्रुटि	1	8.78	1	18.32	1	38.39

उपरोक्त तालिका से प्रकट होता है कि 2010-11 के दौरान " वर्गीकरण में त्रुटि " से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य ₹ 38.39 करोड़ हो गया जो कि 2009-10 में ₹ 18.32 करोड़ था ।

1.35 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित कतिपय महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है ।

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर (2010-11)

तुलन पत्रक- अन्य दायित्व एवं प्रावधान : ₹ 42.60 करोड़

राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अनुसार, निगम ने वर्ष 1990-91 से वर्ष 1999-2000 तक के लिये लाभांश राशि ₹ 38.89 करोड़ का प्रावधान लेखों में किया है जिसे अब तक भी वितरित नहीं किया गया है । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अनुसार यदि निगम द्वारा लाभांश राशि को घोषणा तिथि के सात वर्ष तक भुगतान नहीं किया जाता है तो इसी स्थिति में इस राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में जमा किया जाना होता है । निगम द्वारा ऐसा नहीं किया गया है ।

परिणामस्वरूप, निगम के अन्य दायित्व (लाभांश देनदारियां) में ₹ 38.89 करोड़ ज्यादा दिखाये गये हैं एवं आरक्षित एवं अधिशेष उतनी ही राशि से कम दिखाये गये हैं ।

1.36 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-3(क) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण एवं आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और ऐस क्षेत्रों, जिनमें सुधार की आवश्यकता है, की पहचान करनी होती है । वर्ष 2010-11 के लिये 28 कम्पनियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा/ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सम्भावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का एक निदेर्शी सारांश निम्नानुसार है :

क्रम सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके लिये अनुशंसाये की गई	*परिशिष्ट 2* की कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	भण्डार तथा अतिरिक्त पुर्जो की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	2	क-3, 34
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यवसाय के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	21	क-1,2,6,9,12,14, 16, 19, 20, 21, 22, 23,24, 29, 31,32,33, 40,42, ख-2, ग-5
3.	लागत अभिलेखों का संधारण न करना	3	क-26,31,33
4.	मात्रात्मक विवरण, दिनांकित स्थितियां, परिचय संख्या अधिगृहण की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रासगत मूल्य तथा उनके स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित अभिलेख संधारित न करना	17	क 1,2,3,6,8,9,10,14, 16,19,29,31,32,39,41,42, ग-5

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूलियां

1.37 वर्ष 2010-11 में औचित्य लेखापरीक्षा के समय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धन को ₹ 193.11 करोड़ की वसूलियां बताई गई थी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार की थी तथापि वर्ष 2010-11 मा केवल ₹ 9.77 करोड़ की वसूली की गई ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति

1.38 निम्नांकित तालिका सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा पटल पर रखने की स्थिति को दर्शाती है।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वे वर्ष जिन तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे गये	वर्ष, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर नहीं रखे गये		
			पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को प्रेषित करने की तिथि	विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण
1.	मध्यप्रदेश वेयर हाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन	2009-10	2010-11	29.09.2011	प्रक्रियाधीन
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	2009-10	2010-11	30.09.11	उत्तर अप्राप्त
3.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	2009-10	2010-11	प्रक्रियाधीन	------
4.	मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम	2005-06	2006-07 और 2007-08	13.04.2009	जानकारी अप्राप्त

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण सांविधिक निगमों पर विधान मण्डल का नियन्त्रण कमजोर हुआ और इसके कारण वित्तीय उत्तरदायित्व भी कमजोर हुये । सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधान सभा में त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.39 सरकार ने 2010-11 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अपने किसी भी उपक्रम का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन नहीं किया ।